संख्या-285 /2025/1033/41-2-2025-CN-1893810

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0**,** लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक 07 मई**,** 2025

विषय:- जनपद हापुड़ में साइनेजज की स्थापना कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-234/6-1-1(यू0सी0/रा0यो0)2025-26, दिनांक 17.04.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से जनपद हापुड़ में साइनेजज की स्थापना कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- जनपद हापुड़ में साइनेजज की स्थापना कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी**0**एण्ड डी**0**एस**0)** उ**0**प्र**0** जल निगम द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	शासनादेश संख्या व दिनांक	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	अवमुक्त धनराशि
1	2023-24	30/2024/171/001-41-2-2024-01-**बजट-**2024, **दिनांक** 07.02.2024	396.03 लाख (जी0एस0टी0 सहित)	150.00

3- उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु नामित कार्यदायी संस्था कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी**0** एण्ड डी**0**एस**0)** उ**0**प्र**0** जल निगम द्वारा परियोजना का कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में नामित कार्यदायी संस्था कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी**0** एण्ड डी**0**एस**0)** उ**0**प्र**0** जल निगम के स्थान पर उ**0**प्र**0** राज्य पर्यटन विकास निगम लि**0 (**यू**0**पी**0**एस**0**टी**0**डी**0**सी**0)** को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

4- अवगत कराना है कि पर्यटन अनुभाग-**2** के शासनादेश दिनांक 07.02.2024 द्वारा पूर्व में नामित कार्यदायी संस्था कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी**0** एण्ड डी**0**एस**0)** उ**0**प्र**0** जल निगम को प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 150.00 लाख (रू0 एक करोड़ पचास लाख मात्र) को वर्तमान में नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि**0 (**यू**0**पी**0**एस**0**टी**0**डी**0**सी**0)** के पक्ष में स्थानान्तरित करने एवं अवमुक्त धनराशि रू0 150.00 लाख (रू**0** एक करोड़ पचास लाख मात्र) पर अब तक अर्जित व्याज को राजकोष में जमा कराने हेतु शासन के पत्र दिनांक 05.02.2025 द्वारा महानिदेशक पर्यटन को निर्देशित किया गया है।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवशेष धनराशि रू0 122.72 लाख (रूपये एक करोड़ बाइस लाख बहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 07.02.2024 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक)**,**अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352**/**दस-2025-231/2025**,** दिनाँक 27.03.2025 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।]

(3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि कार्यदायी संस्था को नहीं उपलब्ध करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352**/**दस-2025-231/2025**,** दिनाँक 27.03.2025 का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत करने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चि त किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजना में धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्थाएवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये (तिथि सहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।]

(12) परियोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य को अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक/अपर परियोजना प्रबन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर) दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/उपनिदेशक**,**पर्यटन द्वारा की जायेगी।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 122.72 लाख (रूपये एक करोड़ बाइस लाख बहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष **2025-26** के लेखाशीर्ष **5452-**पर्यटन-**80-**सामान्य-**800-**अन्य व्यय-**41-**जनपद हापुड़ स्थित गढ़मुक्तेश्वर में प्रमुख पर्यटन स्थलों का समेकित विकास-**24-**वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352**/**दस-2025-231/2025**,** दिनाँक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, हापुड़।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0 (उ0प्र0 जल निगम)**,** लखनऊ ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ**0**प्र**0** राज्य पर्यटन विकास निगम लि**0 (**यू**0**पी**0**एस**0**टी**0**डी**0**सी**0)]** लखनऊ ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. संयुक्त निदेशक पर्यटन, मेरठ/सहारनपुर मण्डल**,** मेरठ।
9. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से**,**

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।]